अनुदान संख्या 100 - शहरी विकास विभाग
GRANT No. 100–DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*29,91,00*		*35,96,00*	*35,92,14*	*–3,86*
पूरक	*Supplementary*	*6,05,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1008,52,00		1423,32,00	1396,95,73	–26,36,27
पूरक	Supplementary	414,80,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					21,92,83
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*27,00,00*	*23,79,68*	*–3,20,32*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,76,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2600,36,00		4626,84,00	4620,63,77	–6,20,23
पूरक	Supplementary	2026,48,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नानुसार हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *66.92 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 27 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) Under one head saving of *Rs.66.92 lakhs* occurred constituting 27 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
पू.	S.	1256.00	2264.07	2187.07	–77.00
पु.	R.	1008.07			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	45570.00	47202.32	47869.83	+667.51
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1631.32			
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	35176.00	86878.93	85862.43	–1016.50
पू.	S.	41477.00			
पु.	R.	10225.93			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	15000.00	1.00	. .	–1.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–15000.00			

(I) 18109.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 18001.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - अनुसंधान - भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड'' - 3000.00 लाख रु. अत्याधुनिक मेट्रो रेल कोचों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्ताव के अंतिम रूप न लेने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम'' -

(क) ''जलपूर्ति का संवर्धन'' - 1001.00 लाख रु. (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) ''पूर्वोत्तर राज्यों में मलजल प्रणाली का विकास/सुधार'' - 1000.00 लाख रु.;

(ग) ''ठोस अपशिष्ट निपटान परियोजना'' - 1000.00 लाख रु.;

(घ) ''शहरी अवसंरचना विकास परियोजना'' - 7000.00 लाख रु.; और

(ङ) ''सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना'' - 5000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - राष्ट्रमंडल खेल'' के अंतर्गत 12500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2009 में 40455.00 लाख रु.का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 52955.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सरकार द्वारा आई एस एस के लिए

(I) Provision of Rs.18109.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these Rs.18001.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2217" – "General – Research - Bharat Earth Movers Ltd." – Rs.3000.00 lakhs - due to non-finalisation of proposal for setting up of National Research and Development Centre for a State of the art Metro Rail Coaches.

(B) Major Head "2552" – "Water Supply-Urban Water Supply Programme" –

(a) "Augmentation of Water Supply" – Rs.1001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010);

(b) "Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" – Rs.1000.00 lakhs;

(c) "Solid Waste Disposal Project" – Rs.1000.00 lakhs;

(d) "Urban Infrastructure Development Project" – Rs.7000.00 lakhs; and

(e) "Social/Community Development Project" – Rs.5000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes – Other Expenditure – Commonwealth Games" – the original provision of Rs.12500.00 lakhs was augmented to Rs.52955.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40455.00 lakhs in December, 2009

अनुमोदित लागत गृह मंत्रालय द्वारा मूल रूप से दी गई लागत से कम होने के कारण 680.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

which, however, remained unutilised to the extent of Rs.680.00 lakhs – due to approved cost for ISS by Government being less than that originally projected by Ministry of Home Affairs.

(III) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''मलजल और सफाई - नगर निगम को सहायता - चुनिन्दा शहरों में हवाई अड्डे के निकट ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधित प्रायोगिक परियोजना'' के अंतर्गत 968.00 लाख रु. की बचत (1256.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से हिंडन (उत्तर प्रदेश) और तेजपुर (असम) को छोड़कर अन्य हवाई क्षेत्र नगरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों से निधियों की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2215" – "Sewerage and Sanitation –Assistance to Municipal Corporation – Pilot Project on Solid Waste Disposal near Airport in Selected Cities" – saving of Rs.968.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1256.00 lakhs) was due to receipt of less demand of funds from implementing agencies for other Airfield Towns except Hindon (UP) and Tejpur (Assam).

(IV) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - निर्माण'' के अंतर्गत 242.18 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य पूल आवास के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2216" – "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs – Construction" – saving of Rs.242.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of General Pool Accommodation.

(V) मुख्य शीर्ष ''2217'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2217" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - स्थानीय निकायों/निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' - 627.17 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षमता निर्माण को अंतिम रूप न दिए जाने और विज्ञापन के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Other Urban Development Schemes - Assistance to Local Bodies/Corporation, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc.- Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission" – saving of Rs.627.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of Capacity Building and less requirement towards advertisement.

(खा) ''सामान्य'' -

(B) "General" –

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(a) "Direction and Administration" –

(i) ''नगर और देश योजना संगठन'' - 106.27 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(i) "Town and Country Planning Organisation" – saving of Rs.106.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ii) ''शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन (घरेलू स्रोत) में क्षमता निर्माण'' - 848.64 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यकलापों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(ii) "Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)" – saving of Rs.848.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to non-materialisation of number of activities.

(ख) ''अनुसंधान - शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान'' - 106.69 लाख रु. की बचत (4050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अनुसंधान और प्रशिक्षण के व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Research - Research in Urban and Regional Planning" – saving of Rs.106.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4050.00 lakhs) was due to non -receipt of viable research and training proposals from the State Governments.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.08 लाख रु. की बचत हुई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 59 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs.60.08 lakhs occurred constituting 59 percent of the total sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (173.32 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - संपदा निदेशालय'' के अंतर्गत मार्च, 2010 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 123.87 लाख रु. था।

3.(I) The above savings were partly (Rs.173.32 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2010 under Major Head "2216" – "General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs - Directorate of Estates". Actual excess, however, was Rs.123.87 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2215'' -

(A) Major Head "2215" –

(क) ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - पूर्वोत्तर राज्यों में जल पूर्ति संवर्धन'' - 920.01 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) "Water Supply – Urban Water Supply Programme - Augmentation of Water supply in North Eastern States" – excess of Rs.920.01 lakhs (against nil provision); and

(ख) ''जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - पूर्वोत्तर राज्यों में जलमल प्रणाली का विकास/सुधार'' - 979.06 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services - Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" – excess of Rs.979.06 lakhs (against nil provision).

उपर्यक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों को उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2216'' -

(क) ''सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - आवासीय भवनों की मरम्मत और रख-रखाव'' - 2068.62 लाख रु.का अधिक व्यय (27650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत - मरम्मत'' - 260.55 लाख रु. का अधिक व्यय (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) Major Head "2216" –

(a) "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs – Repair and Maintenance of Residential Buildings" – excess of Rs.2068.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27650.00 lakhs); and

(b) "Other Housing – Maintenance and Repairs – Repairs" – excess of Rs.260.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs).

उपर्यक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्य प्रभारित स्टाफ के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report in respect of worked charged staff.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें'' -

(क) ''स्थानीय निकायों/निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - भारत सरकार का अंशदान'' - 2094.09 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूर्वोत्तर शहरी विकास परियोजना में अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''शहरी अवसंरचना विकास परियोजना'' - 8428.84 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes" –

(a) "Assistance to Local Bodies/Corp., Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Govt. of India's Contribution" – excess of Rs.2094.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of development projects contribution in North Eastern Urban Development Project (NERUDP) in the North Eastern Areas.

(b) "Other Expenditure" –

(i) "Urban Infrastructure Development Project" – excess of Rs.8428.84 lakhs (against nil provision); and

(ii) सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना'' - 4027.59 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 137.57 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से ज्यादा और 828 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(ii) "Social/Community Development Project" – excess of Rs.4027.59 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.137.57 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 828 percent of the sanctioned provision.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	*O.*	*2700.00*	*2424.00*	*2379.68*	*–44.32*
पु.	*R.*	*–276.00*			

(I) ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य भवन - राष्ट्रपति संपदा'' के अंतर्गत *283.44 लाख रु.* की बचत (*2600.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) मलजल शोधन संयंत्र को लगाए जाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - President's Estate" – saving of *Rs.283.44 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.2600.00 lakhs*) was due to non-receipt of administrative approval for installation of Sewerage Treatment Plant.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	38196.00				
पू.	S.	138.00		36449.00	35828.77	–620.23
पु.	R.	–1885.00				
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development					
मू.	O.	84079.00				
पू.	S.	35000.00		120964.00	120964.00	. .
पु.	R.	1885.00				
मुख्य शीर्ष "6217" शहरी विकास के लिए कर्ज	Major Head "6217" Loans for Urban Development					
मू.	O.	137761.00				
				305271.00	305271.00	. .
पु.	R.	167510.00				

(I) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - रोजगार" के अंतर्गत 60.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2010 में 138.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 198.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 138.75 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संबंधित विभाग से पर्याप्त संख्या में स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing - Employment" – the original provision of Rs.60.00 lakhs was augmented to Rs.198.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.138.00 lakhs in March, 2010. However, there was a saving of Rs.138.75 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of sufficient number of sanctions from client department.

(II) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीम - नगर निगम को कर्ज - अन्य मेट्रो परियोजना को पास थ्रू सहायता" के अंतर्गत 6200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2009 में 4000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके

(II) Under Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes – Loans to Municipal Corporation - Pass through Assistance to Other Metro Project" – the original provision of

बढ़ाकर 10200.00 लाख रु. कर दिया, तथापि, जो सरकार से नई मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण 200.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.6200.00 lakhs was augmented to Rs.10200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs in December, 2009 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of approval for new Metro Rail Projects from the Government.

(III) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''लेखा परीक्षा'' - 1081.29 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने और संबंधित विभाग से पर्याप्त संख्या में स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Audit" – saving of Rs.1081.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to slow progress of work and non-receipt of sufficient number of sanctions from client department.

(खा) ''वित्त (राजस्व)'' - 123.60 लाख रु. की बचत (7004.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Finance (Revenue)" – saving of Rs.123.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7004.00 lakhs);

(गा) ''लोक सभा/राज्य सभा'' - 1043.89 लाख रु. की बचत (1882.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Lok Sabha/Rajya Sabha" – saving of Rs.1043.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1882.00 lakhs); and

(घा) ''विदेश मामले'' - 167.45 लाख रु. की बचत (362.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "External Affairs" – saving of Rs.167.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.362.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to slow progress of works.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - अन्य मेट्रो परियोजनाएं'' - 600.00 लाख रु. की बचत (5779.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4217" – "Other Urban Development Schemes – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Other Metro Projects" – saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5779.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for new Metro Rail Projects from the Government.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.95 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 54 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.90.95 lakhs occurred constituting 54 percent of the sanctioned provision.

6. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण'' - 140.27 लाख रु. का अधिक व्यय (25900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश'' -

(का) ''दिल्ली मेट्रो रेल निगम'' - 1885.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 35000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 87800.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''पूर्व-पश्चिम मेट्रो कारिडोर परियोजना, कोलकाता'' - 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(III) मुख्य शीर्ष ''6217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - पूर्व-पश्चिम कारिडोर परियोजना, कोलकाता के पास थ्रू सहायता'' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय 6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय दो भूमिगत मेट्रो संविदाओं (यूजी-1 एवं यूजी-2) को संचालित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

6. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Urban Development Construction" – excess of Rs.140.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed liabilities.

(II) Major Head "4217" – "Other Urban Development Schemes – Investment in Public Sector and Other Undertakings" –

(A) "Delhi Metro Rail Corporation" – excess of Rs.1885.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.87800.00 lakhs including supplementary grant of Rs.35000.00 lakhs obtained in December, 2009) was due to requirement of additional funds to complete the Commonwealth Games, 2010 Projects.

(B) "East-West Metro Corridor Project, Kolkata" – excess of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs); and

(III) Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes – Loans to Municipal Corporation – Pass through Assistance to East-West Corridor Project, Kolkata" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for Mobilisation of two underground Metro contracts (UG-1 & UG-2).